पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून

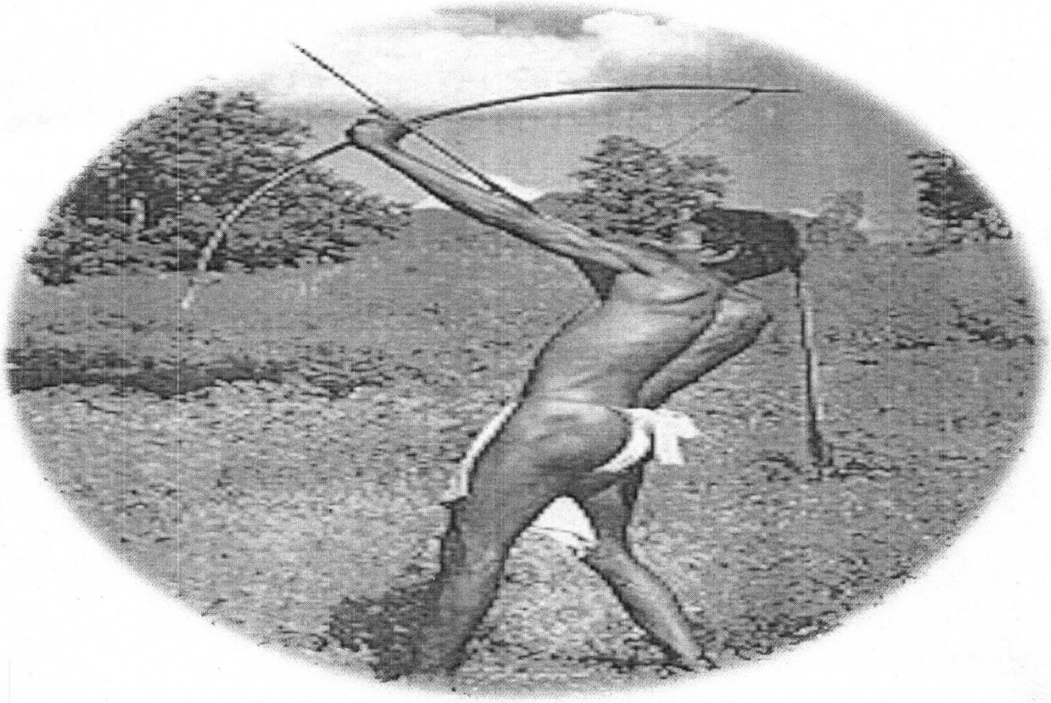

मार्गदर्शन
डॉ.टी.राधा कृष्णन (आई.ए.एस)
संचालक

निर्देशन
श्री बलभद्र राम
उप संचालक

संकलन एवं लेखन
पी.सी.लहरे
अनुसंधान सहायक

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय इकाई
अम्बिकापुर-सरगुजा (छ.ग.)

अध्याय एक

प्रस्तावना :–

संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रषिक्षण संस्थान रायपुर के पत्र क्र. /टी.आर.आई./वा.का.यो./2004/318 दिनांक 02/05/2014 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा को पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून का अध्ययन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देष प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त पत्र के तारतम्य में पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून का अध्ययन तैयार करने हेतु संचालनालय स्तर से कोई गाईड लाईन नहीं दी गई थी। अध्ययन हेतु मार्गदर्शिक एक आवश्यक तत्व है। बिना मार्गदर्शिका के अध्ययन का कोई औचित्य नहीं होता है। लेखक द्वारा अपने स्व विवके से अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

1.2 पृष्ठ भूमि :–

पहाड़ी कोरवा जनजाति को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची में पहाड़ी कोरवा बिरहोर अबुझमाड़िया, कमार, व बैगा जनजाति सम्मिलित है। इन जनजाति में पहाड़ी कोरवा जनजाति अत्यन्त पिछड़ी जनजाति के रूप में सूची बद्ध है। यह जनजाति आज भी अत्यंत पिछड़ी है। इनका निवास स्थान दूर घने जंगलों में पहाड़ों के उपर निवास करते है जहां सामान्य जनजाति के लोग भी जाना नहीं पसंद करते है। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है व वर्तमान में भी कम होती जा रही है। कृषि करने का तरीका अभी भी प्राचीन है। आज भी लोग कृषि की प्राचीन पद्धति का अनुशरण कर रहें है। शिक्षा का प्रतिशत भी अन्य जनजातियों की अपेक्षा बहुत कम है।

1.3 निवास क्षेत्र :–

पहाड़ी कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के जिला–सरगुजा, बलरामपुर व जशपुर जिले में निवास करते है।

1.3.1 सरगुजा जिले का सामान्य परिचय :–

सरगुजा संभाग का अस्तित्व छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व से है। अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के समय भी इस जिले का विशेष महत्व था। चूकि यह जिला राजाओं से संबंध रखता था। जिले में प्राचीन राजाओं में रक्सेल राजवंश का साम्राज्य था। वर्तमान में भी इस राजवंश के उत्तराधिकारी निवास कर रहे है।

सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से 341 कि.मी. दूरी पर स्थित है। विभाजन के पूर्व यह दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता था। जिले के पश्चिम में बलरामपुर जिला पूर्व में कोरबा दक्षिण में सूरजपुर स्थित है।

जिले में 07 तहसील एवं विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट स्थित है। जिले में कुल 579 ग्राम है। सरगुजा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3751.04 वर्ग कि.मी. है। सुरक्षित वन क्षेत्र 455.853 वर्ग कि.मी. है। वनों में मुख्यत साल, महुआ, सागोन, आम व जलाउ वृक्ष पाये जाते है।

1.3.2 जिला बलरामपुर का समान्य परिचय :–

जिला बलरामपुर सरगुजा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाया गया। इसका अस्तित्व 01 जनवरी 2012 को आया। यह जिला सरगुजा जिले के उत्तर पश्चिम में 23–60–67 उत्तर 83–62–03 पूर्व अक्षांस पर स्थित है।

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3806.08 वर्ग कि.मी. है। जिले में कुल 06 विकासखण्ड बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर, कुसमी, शंकरगढ़ व वाड्रफनगर है। सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

बलरामपुर जिले की कुल जनसंख्या 598655 है। जिसमें 3,04,367 पुरूष व 294488 महिला है। प्रति हजार पुरूष के पीछे 1003 महिला अनुपात है। ग्रामीण जनसंख्या 572249 व शहरी जनसंख्या 26606 है। जिले की जनसंख्या का घनत्व 173 प्रति वर्ग कि.मी. है।

जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 371747 है जो कुल जनसंख्या का 62.07 प्रतिशत है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 26654 है जो कुल जनसंख्या का 4.45 प्रतिशत है।

जिले में कुल ग्राम संख्या 645 है 340 ग्राम पंचायत है। जिले की साक्षरता दर 60.36 प्रतिशत है जिले में 06 जनपद पंचायत 01 नगर पंचायत व 26 पटवारी हल्का है।

जिले में 122 विद्युतीकरण ग्राम है पेयजल सुविधा 123 ग्राम में उपलब्ध है। 125 ग्राम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

बलरामपुर जिला अत्यंत पिछड़ा जिला है। जहां रेल्वे स्टेशन भी नहीं है यह संभागीय जिला मुख्यालय से 90 कि.मी. दूर है। इनकी सीमाएं झारखण्ड बिहार राज्य से लगा है।

1.3.3 जिला जशपुर का समान्य परिचय :–

जशपुर जिला पूर्व में रायगढ़ जिले का एक हिस्सा था। वर्ष 1998 में पृथक कर नया जिला बनाया गया था। जशपुर जिला राज्य के पूर्व माग में स्थित है। इसकी सीमाएं पूर्व में झारखण्ड राज्य पश्चिम से बिलासपुर, उत्तर में बिहार एवं दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है।

जिल में 09 तहसील/विकासखण्ड तथा जशपुर, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, बागबहार, पत्थलगांव, कांसाबेल, बगीचा मनोरा है। जशपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। सभी विकासखण्ड आदिवासी विकास है।

जिले में कुल ग्राम संख्या 646 राजस्व एवं 11 वनग्राम कुल 657ग्राम है। जशपुर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल 4569 वर्ग कि.मी. है। जिसमें से 2553.63 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। 1093.706 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन 567.750 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन है। असीमाकिंत संरक्षित 857.125 वर्ग कि.मी. है। कृषि भूमि 291497 हेक्टेयर है सिंचाई 5 प्रतिशत क्षेत्र में उपलब्ध है।

जिले में मुख्यतः उरांव, कंवर, नगेशिया, कोरवा, पहाड़ी डिहारी कोरवा, खड़िया, खैरवार, भुईया आदि जनजातियां निवासरत है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में से पहाड़ी कोरवा व बिरहोर इसी जिले में पाये जाते है। बगीचा व

मनोरा विकासखण्ड से पहाड़ी कोरवा व कुनकुरी बगीचा, दुलदुला व कांसाबेल में बिरहोर जनजाति पाये जाते है।

तालिका क्र. 1.3

पहाड़ी कोरवा का निवास क्षेत्र की जानकारी

क्र	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम संख्या	परिवार संख्या	पहाड़ी कोरवा जनसंख्या
1	सरगुजा	अम्बिकापुर	8	141	585
2	--..--	सीतापुर	9	116	475
3	--..--	बतौली	16	318	1307
4	--..--	लखनपुर	07	97	434
5	--..--	उदयपुर	05	88	320
6	--..--	लुण्ड्रा	60	820	3416
7	--..--	मैनपाट	15	198	965
		योग	**120**	**1778**	**7502**
1	बलरामपुर	रामपुर	27	619	2867
2	--..--	कुसमी	22	359	2053
3	--..--	शंकरगढ़	42	677	3756
4	--..--	बलरामपुर	09	85	389
		योग	**100**	**1740**	**9065**
	जशपुर	मनोरा	11	119	441
1	--..--	बगीचा	72	2078	8973
2	--..--	**योग**	**83**	**2197**	**9414**
		महायोग	**303**	**5715**	**25981**

उपरोक्त आकड़े वर्ष 1991 की जनगणना व आदिम जाति अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन से लिया गया है। अध्ययन अनुसार राज्य में संभाग के 03 जिलों में 13 विकासखण्ड के 303 ग्रामों में 5715 परिवार निवास कर रहे है। जहां इनकी कुल जनसंख्या 25981 है।

1.4 अध्ययन क्षेत्र :–

उपरोक्त अध्ययन हेतु जिला बलरामपुर व जिला सरगुजा के विकासखण्ड के 20 ग्राम के लगभग 125 परिवारों से सम्पर्क कर अध्ययन कार्य किया गया। चयनित ग्राम जहां अध्ययन कार्य सम्पादित किया गया कि सूची निम्न तालिका में संकलित कर प्रदर्शित किया गया है :–

तालिका क्र. 1.4

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	सर्वेक्षित परिवार संख्या
1	बलरामपुर	राजपुर	अलखडीहा	10
			माकड	10
			लाड	10
		शंकरगढ़	सुगाटोली	10
			हरीन लेटा	10
			पटना	10
			जगिया	10
			खरकोना	10
			चम्पानगर	10
			जिगनिया	09
		कुसमी	संरगा जोगी	09
	योग	**3**	**11**	**108**

1.5 अध्ययन विधि :-

पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रथागत कानून का अध्ययन करने हेतु कोई सूची या मार्गदर्शिका संचालनालय स्तर से उपलब्ध नहीं करायी गई थी। फलतः सर्वेक्षण करते समय स्व विवके का उपयोग कर कुछ मूलभूत तत्वों का समावेष करने का प्रयास किया गया है। जिसमें पहाड़ी कोरवा परिवार के मुखिया व सदस्यों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर समावेश बिंदु पर प्रश्न कर उत्तरों का संकलन किया गया है।

तालिका क्र.1.5

साक्षात्कार लिए गये परिवार प्रमुख की तालिका

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	परिवार मुखिया का नाम/पिता का नाम
1	बलरामपुर	राजपुर	अलाखडीहा	सुखु/बुजना
2	--,,--	--,,--	--,,--	मनोज/महलु
3	--,,--	--,,--	--,,--	बंसत/महलु
4	--,,--	--,,--	--,,--	सोमा/ठकवा
5	--,,--	--,,--	--,,--	बिफना/सिभु
6	--,,--	--,,--	--,,--	रूपनी/सोहना
7	--,,--	--,,--	--,,--	गुडन/महलु
8	--,,--	--,,--	--,,--	बरतुराम/रामारास
9	--,,--	--,,--	--,,--	जगदीश/रामराम
10	--,,--	--,,--	--,,--	महलु/बुघुना
11	--,,--	--,,--	--,,--	सोनसाय/फागू
12	--,,--	--,,--	--,,--	फूलसीता/नघीया
13	--,,--	--,,--	--,,--	परमेश्वर/अर्जन
14	--,,--	--,,--	--,,--	कुंवरसाय/गन्नु
15	--,,--	--,,--	--,,--	फागू/सुखा
16	--,,--	--,,--	--,,--	भगलु/अर्जन
17	--,,--	--,,--	--,,--	धनीबाई/सूखा

18	——,,——	——,,——	——,,——	रामेश्वर / अर्जन
19	——,,——	——,,——	——,,——	गन्नू / सोहर
20	——,,——	——,,——	——,,——	अर्जन / महोगे
21	——,,——	राजपुर	लाउ	बिकुल / सुधु
22	——,,——	——,,——	——,,——	टहकू / भैसा
23	——,,——	——,,——	——,,——	सुखु / भैसा
24	——,,——	——,,——	——,,——	रिजू / भैसा
25	——,,——	——,,——	——,,——	बैगा / भैसा
26	——,,——	——,,——	——,,——	सहदेव / रघू
27	——,,——	——,,——	——,,——	घोल्टू / भैसा
28	——,,——	——,,——	——,,——	फूलसाय / पहुआ
29	——,,——	——,,——	——,,——	फूलचंद / बंठू
30	——,,——	——,,——	——,,——	रत्ना / पहुआ
31	——,,——	शंकरगढ़	सुगाखोली	सुघना / सोनेराम
32	——,,——	——,,——	——,,——	हवला / सोनू
33	——,,——	——,,——	——,,——	बुधराम / सोनेराम
34	——,,——	——,,——	——,,——	लखरूराम / झुराम
35	——,,——	——,,——	——,,——	दिलसाय / बिखनाराम
36	——,,——	——,,——	——,,——	रूपन / मोहन
37	——,,——	——,,——	——,,——	हरिराम / सोमारूराम
38	——,,——	——,,——	——,,——	भीखराम / सोमारू
39	——,,——	——,,——	——,,——	सोमारू / परमू
40	——,,——	——,,——	——,,——	गोगले / कुंजराम
41	——,,——	——,,——	हरिनलेटा	अंधू / बडा भगत
42	——,,——	——,,——	——,,——	सुखदेव / चमरा
43	——,,——	——,,——	——,,——	रत्ना / चमराराम

44	--,,--	--,,--	--,,--	सुन्दर / बुघना
45	--,,--	--,,--	--,,--	चैड / विफना
46	--,,--	--,,--	--,,--	लाठी / सूखसाय
47	--,,--	--,,--	--,,--	चमराराम / छोटा अघनू
48	--,,--	--,,--	--,,--	अजय / जेठू
49	--,,--	--,,--	--,,--	मघना / छोटा अघनू
50	--,,--	--,,--	--,,--	महेश / छोटा अघनू
51	--,,--	--,,--	पटना	भूलना / जेठूराम
52	--,,--	--,,--	--,,--	रत्नू / झूलनाराम
53	--,,--	--,,--	--,,--	खुरिया / दुर्गा
54	--,,--	--,,--	--,,--	सूखना / तुरिया
55	--,,--	--,,--	--,,--	रिखूराम / विसनू
56	--,,--	--,,--	--,,--	कोलस / जेठू
57	--,,--	--,,--	--,,--	एतवा / ठोमरा
58	--,,--	--,,--	--,,--	कुंवरसाय / ठोमरा
59	--,,--	--,,--	--,,--	देवसाय / पोला
60	--,,--	--,,--	--,,--	भगतराम / रिखू
61	--,,--	--,,--	जगिया	प्रभुराम / सीकू
62	--,,--	--,,--	--,,--	चन्दूरू / दुखन
63	--,,--	--,,--	--,,--	भीखू / सघवाराम
64	--,,--	--,,--	--,,--	सियाराम / भादीराम
65	--,,--	--,,--	--,,--	बिसूनराम / मांगला
66	--,,--	--,,--	--,,--	महेन्द्र / सियाराम
67	--,,--	--,,--	--,,--	राजबली / मादीराम
68	--,,--	--,,--	--,,--	मांगलाराम / खेवनाराम
69	--,,--	--,,--	--,,--	बिहारी / सियाराम

70	——,,——	——,,——	——,,——	बंधाराम / बुद्धुराम
71	——,,——	——,,——	खरकोना	बालसाय / सोमा
72	——,,——	——,,——	——,,——	गोदना / अघनू
73	——,,——	——,,——	——,,——	बिसनाथ / तेजराम
74	——,,——	——,,——	——,,——	सोमा / तेजराम
75	——,,——	——,,——	——,,——	राखोराम / भगना
76	——,,——	——,,——	——,,——	मोनूराम / अंधूराम
77	——,,——	——,,——	——,,——	अंधूराम / भगना
78	——,,——	——,,——	——,,——	पडरा राम / राखोराम
79	——,,——	——,,——	——,,——	किसना / राखोराम
80	——,,——	——,,——	——,,——	घिरूराम / बोदरो
81	——,,——	——,,——	चम्पानगर	बिरबल / एवतूराम
82	——,,——	——,,——	——,,——	विसनाथ / रटूराम
83	——,,——	——,,——	——,,——	सुकदेव / टीभूराम
84	——,,——	——,,——	——,,——	खेलोराम / गुलुराम
85	——,,——	——,,——	——,,——	चरणराम / गुलुराम
86	——,,——	——,,——	——,,——	विपता / शुरूराम
87	——,,——	——,,——	——,,——	भिकूराम / सुखना
88	——,,——	——,,——	——,,——	तोम्बाराम / आजलराम
89	——,,——	——,,——	——,,——	पाडयराम / तोम्बाराम
90	——,,——	——,,——	——,,——	विफईराम / परदेशिया
91	——,,——	——,,——	——,,——	खेखाराम / साधूराम
92	——,,——	——,,——	जिगनिया	हुंकराराम / सुइलुराम
93	——,,——	——,,——	——,,——	रजनाथ / हुकराराम
94	——,,——	——,,——	——,,——	माझेराम / कलहू
95	——,,——	——,,——	——,,——	गंगाराम / माडोराम

96	--,,--	--,,--	--,,--	पतवारा / पितुलराम
97	--,,--	--,,--	--,,--	गोपालराम / पतवाराम
98	--,,--	--,,--	--,,--	गरजा राम / भगत
99	--,,--	--,,--	--,,--	अरविंद / गरजाराम
100	--,,--	कुसमी	सरंगातोगी	फाडड़ / उमराव
101	--,,--	--,,--	--,,--	रमदू / झंगू
102	--,,--	--,,--	--,,--	इटना / बठना
103	--,,--	--,,--	--,,--	रतू / गोदलो
104	--,,--	--,,--	--,,--	महतो / कोल्हा
105	--,,--	--,,--	--,,--	गेहलो / कोल्हा
106	--,,--	--,,--	--,,--	ढेरकू / बठना
107	--,,--	--,,--	--,,--	गोबरा / नान्हे
108	--,,--	--,,--	--,,--	जयराम / उमराव

उपरोक्त तालिका के अनुसार जिला बलरापुर के 108 परिवार के मुखिया से चर्चाकर जानकारी संकलन किया गया है।

1.6 पहाड़ी कोरवा में प्रथागत परम्परा (कानून) :–

प्रथागत कानून या परम्परा हर जनजाति में सामाजिक रूप से कुछ प्रचलित नियम, कानून या परम्परा होती है। जो पिता से अपने बच्चों को प्राप्त होती है। जिसे बालक अपने पिता बुजूर्गो से प्राप्त कर अगली पीढ़ी को प्रदान करते है तथा वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को प्रदान करती है। यह नियम परम्परा उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। क्योकि समाज में हर तरह के लोग निवास करते है। कुछ अच्छे कुछ बुरे। चूंकि समाज अच्छे व बुरे दोनों लोगों को लेकर चलती है। परंपरा समाज के अवांछित तत्वों से भी वांछित कार्य करवाने की शक्ति रखती है। इन अवांछित तत्वों को भी समाज में रहना है। यदि ये तत्व समाज की बातों को मानकर नहीं चलती तो समाज द्वारा कठोर कार्यवाही करती है। जिसमें दण्ड के रूप में समाज

में उनका उठना, बैठना, भोजन, पानी, हुक्का बातचीत बंद कर दिया जाता है। विवश होकर यह तत्व समाज के नियम कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। फलतः समाज के परम्परागत कानून सभी के लिए लागू रहते है। समाज या परिवार में जब कोई सदस्य जन्म लेता है तो उसे समाज की सदस्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। जिसके कारण जाति या समाज का परम्परागत कानून उसके उपर अपने आप आ जाता है व उस परम्परा को मानना उसकी मजबूरी हो जाती है।

पहाड़ी कोरवा जाति के लोग घने जंगलों में निवास करते है फलतः अपराधिक या फौजदारी न्यायालयों के विभिन्न कानूनों की जानकारी इन्हें नहीं होती है। जाति के लोग अपने समाज में अपराधिक कृत्यों के फैसले नहीं लिए जाते। समाज में छोटे मोटे झगड़े व सामाजिक परम्परा का उल्घंन आदि समस्याओं को सुलझाया जाता है।

इन मामलों विवादों को सुलझाने के लिए ग्राम स्तर पर सामाजिक पंचायत व दूसरा 8 गवां पंचायत व तीसरा केन्द्रीय पंचायत सामाजिक रूप से प्रचलित है जिसमें विवाद के अनुसार मामले सामाजिक जाति पंचायत में लाये जाते है।

1.7 पंचायती कार्यकाल :–

पहाड़ी कोरवा की पंचायत अवधि बुलाने की तिथि निश्चित नहीं होती है। समाज में जो व्यक्ति का पद निश्चित नहीं होती है। समाज में जो व्यक्ति सही निर्णय देता है। उसे आगे की अवधि के लिए पुनः चुन लिया जाता है। कार्य अच्छा नहीं होने पर अन्य व्यक्तियों को सदस्यों को चुन लिया जाता है।

1.8 ग्राम में जाति पंचायत :–

पहाड़ी कोरवा ग्राम में निवासरत व्यक्ति अपनी समस्याएं ग्राम में ही सदस्यों के सक्षम प्रस्तुत करता है। व्यक्ति के बुलावे पर सदस्यों द्वारा बैठक बुलायी जाती है। जहां चुने गये सदस्य समस्या पर विचार करते है व सामाजिक नियम के अनुसर दोषी को दण्ड दिया जाता है। ग्राम में पहाड़ी कोरवा जाति में ग्राम स्तर पर निम्नांकित कार्य किए जाते है :–

1. **पूजा हेतु धन एकत्रित करना** :– पहाड़ी कोरवा अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते है जिसमें ग्राम देवी देवता की पूजा होती है जिसे सामूहिक रूप से

मनाया जाता है। इस हेतु समाजिक बैठक कर प्रति परिवार के हिसाब से एक निश्चित राशि एकत्रित करने हेतु आदेशित किया जाता हैं।

2. **सगोत्र विवाह रोकना** :— पहाड़ी कोरवा जनजाति में सगोत्र विवाह पूर्णतः वर्जित है समाज ऐसे विवाह को स्वीकार नहीं करता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार को कोई कार्य करता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता व उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। समाज ऐसे विवाह को रोकने के लिए कठिन दण्ड देता है। जिससे कोई अन्य व्यक्ति इसे दुहराने की हिम्मत नहीं करता जैसे अधिक अर्थदण्ड व विवाह को अवैध घोषित करना, समाज से अलग कर देना आदि।

3. **जातिगत विवादों को सुलझाना** :— पहाड़ी कोरवा सामाजिक पंचायत में सामाजिक झगड़े जैसे अवैध संबंध, जायदाद बंटवारा, मारपीट पति पत्नि के झगड़े आदि होने पर पक्ष द्वारा सदस्यों से गुहार किया जाता है। फिर सदस्यों द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार सदस्यों की बैठक होती है जहां विवाद दोनों पक्ष द्वारा रखा जाता है। निर्णय सदस्यों द्वारा जैसे सम्पत्ति का बंटवारा के लिए दोनों समझाकर सम्पति सहमति से बांट दिया माता है। पत्नि के विवाद में दोनों का सुलाह कराता है। समझौता न मानने पर अलग अलग रहने का हुक्म देती है। मामूली माटपीट होने पर समझौता करा दिया जाता है। मृत्यु या संधातिक चोट होने पर समाज की बैठक नहीं की जाती है।

4. **अर्न्तजातिय विवाह रोकना** :— छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी जनजातियों द्वारा अपने ही जाति में विवाह को मान्यता देती है यदि कोई व्यक्ति अन्य जाति में विवाह करता है तो उसे सामाजिक रूप से अर्थदण्ड व सामाजिक भोज का दण्ड दिया जाता है। दण्ड न देने पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है लड़की अन्य की जाति की होने पर उसे सामाजिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता है किंतु उससे उत्पन्न संतान को समाज मान्यता प्रदान करती है। यदि लड़की अन्य समाज में विवाह करती है तो उसे समाज में नहीं रखा जाता न उसके संतान को मान्यता भी नहीं देती

5. **सामाजिक रीति रिवाज की जानकारी देना** :– पहाड़ी कोरवा समाज की बैठक सामाजिक रूप से होने पर पुरानी नियमों की जानकारी दी जाती है यदि उसमें कोई संशोधन करती है तो उसकी जानकारी जाति पंचायत में पूरे समाज को देती है ताकि नये नियम की जानकारी सभी को रहे।

6. **अन्य जातियों से वाद–विवाद को रोकना** :– पहाड़ी कोरवा समाज अन्य जाति समाज से अलग रहना पसंद करते है व खुद भी समाज परिवार एक दूसरे से स्वतंत्र रहना पसंद करते है ताकि व्यर्थ का वाद विवाद, लड़ाई–झगड़ा न हो। यदि कोई वाद विवाद होता है समाज द्वारा समझा बुझाकर निपटारा कर दिया जाता है। समझाईश न मानने पर समाज आर्थिक दण्ड से सुलझाया जाता है।

2. केन्द्रीय पंचायत :–

पहाड़ी कोरवा समाज में भी केन्द्रिय पंचायत होती है जिसमें ग्राम स्तर पर न सुलझने वाले विवाद इस पंचायत के समक्ष रखे जाते है। केन्द्रीय जाति पंचायत में जाति से संबंधित अपील एवं सामाजिक नियम बनाने पालन करवाना आदि कार्य को रखे जाते है।

(अ) सदस्य संख्या :– केन्द्रीय पंचायत में अधिकतम 8–10 सदस्य होते है :–

1.	**अध्यक्ष**	–	**एक**
2.	**उपाध्यक्ष**	–	**एक**
3.	**सचिव**	–	**एक**
4.	**कोषाध्यक्ष**	–	**एक**
5	**कार्य कारणी सदस्य**	–	**चार**

कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करना :–

पहाड़ी कोरवा जनजाति में केन्द्रीय जाति पंचायत के सदस्यों, पदाधिकारियों का चुनाव उसकी योग्यता व कार्यो को देखकर किया जाता है। सदस्य का चुना हेतु कुछ निर्धारित योग्यताएं बनाई गई है जो नियमानुसार है :–

1. पहाड़ी कोरवा जाति का बुजूर्ग व प्रतिष्ठित व्यक्ति हो।

2. सामाजिक नियमों की अच्छी जानकारी रखता है तथा किसी असमाजिक कार्यो में संलिप्त न हो।
3. न्यायप्रिय व समझदार हो
4. चरित्रवान होना चाहिए।

4. केन्द्रीय पहाड़ी कोरवा पंचायत कार्यकाल :-

पहाड़ी कोरवा केन्द्रय पंचायत की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। पहाड़ी कोरवा प्रायः अशिक्षित होते है। इसलिए अधिक प्रतियोगी नहीं होते है। जो व्यक्ति पद के लिए खडे होते है सामाजिक रूप से उपस्थित व्यक्ति हाथ उठाकर उसका समर्थन करते है।

5. बैठक :-

केन्द्रीय पहाड़ी कोरवा समाज की एक वार्षिक आय बैठक होती है जो हर वर्ष अलग-अलग स्थानो पर होती है। इसके अतिरिक्त बहुत आवश्यक पड़ने पर बैठक कभी भी आहुत की जा सकती है। सभा में पदाधिकारी व सामाजिक सदस्य उपस्थित होते है। आम सभा के अपीलीय प्रकरण व नये सामाजिक नियामों के बारे में जानकारी दी जाती है या नियमो को बदलाव के संबंध में सुझाव मांगे जाते है।

केन्द्रीय पंचायत के कार्य :-

1. **जातिगत वाद विवादों का निपटारा** :- वे मामले जो ग्राम में सामाजिक स्तर पर नहीं निपटाया जा सकता या निराकरण होने पर एक पक्ष नहीं मानता तो एक पक्ष केन्द्रीय पंचायत में अपील कर सकता है। केन्द्रीय जाति पंचायत ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए तिथि निश्चित करता है और संबंधितों के साथ-साथ समाज को सूचना दी जाती है। विवादित पक्षकार निर्धारित समय को एकत्रित होते है। केन्द्रीय पंचायत समस्य का निराकरण कर फैसला सुनाती है जिसे दोनों पक्षें को मानना पड़ता है अन्यथा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
2. **पति-पत्नि मतभेदों का निपटरा** :- पति-पत्नि में आपस में न पटने पर समाज अलग-अलग करदेता है। समाज में विवाह विच्छेद को भी मान्यता देती है। विवाह विच्छेद के कुछ निम्न कारण होता है जैसे पति पित्न के झगड़े इतने

बढ़जाते है कि दोनों का साथ रहना असंभव हो जाता है तब केन्द्रीय पंचायत अपना फैसला सुनाता है।

3. **गौ हत्या का प्रायश्चित** :— पहाड़ी कोरवा जनजाति में गौ हत्या को पाप माना जाता है। गौ हत्या करने वाले समाज के व्यक्ति पर सामाजिक नियम का पालन करते हुए प्रायश्चित करवाया जाता है। जिसमें समाज को भोज व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं

4. **धार्मिक त्यौहारों पर एक स्थान पर एकत्रित होना** :— पहाड़ी कोरवा में सामाजिक त्यौहारों या मरनी में विवाह मे एक साथ एकत्रित होकर हर्षोत्लास के साथ त्यौहार मनाते व नाचते गाते है।

5. **सगोत्र विवाह रोकना** :— समाज में सगोत्र विवाह को निषेध माना गया है। एक ही गोत्र के लोग आपस में भाई बहन माने जाते है यदि समाज का व्यक्ति इन नियमों का उल्घंन करता है तो समाज उसे दण्ड देता है न मानने पर सामाजिक रूप से बहिस्कृत कर देता है।

पहाड़ी कोरवा में प्रथागत कानून व सामाजिक नियम :—

पहाड़ी कोरवा जनजाति मे भी अन्य जनजाति समुदाय की तरह सामाजिक, धार्मिक संस्कार सम्पन्न किया जाता है। जिसमे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार व मृत्यु संस्कार प्रमुख है। सामाजिक रूप से प्रथागत कानून ही पूर्वजों से चला आ रहा है। यह पुराने पीढ़ी से नये पीढ़ी को मिलता है। जिसमें पिता अपने पुत्रों को बचपन से ही समाज के हर संस्कार में भाग लेने देता है। देखता है व सीखता है बडा होते होते व समाज के लगभग सभी संस्कारों व नियमों से परिचित हो जाता है। पहाड़ी कोरवा में प्रथागत कानून जो पुरातन पीढ़ी से नये पीढ़ी को प्राप्त होतो है कुछ सामाजिक विवादों का निपटारा के संबंध में पुरानी पीढ़ी से प्राप्त नियम नियमानुसार है:—

1. **जातिगत विवादों के संबंध में** :— पहाड़ी कोरवा में जातिगत विवाद अथवा झगड़ों का निपटारा सामाजिक पंचायत में ही किया जाता है। विवादित दोनों पक्ष को समझाया जाता है। व मानने पर 200 रू. से 1000 रू. का आर्थिक दण्ड दिया जाता है।

2. **सगोत्र विवाह में प्रथागत कानून** :– समाज में एकी गोत्र में विवाह को समाज मान्यता प्रदान नहीं करती है। यदि कोई सगोत्र विवाह करता है तो उसे समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है व 1000 रू. दण्ड व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है।

3. **बहु विवाह में प्रथागत कानून** :– समाज में बहु विवाह सामान्यत : नहीं पाया जाता । यदि किसी महिला का बच्चा न हो रहा हो या बिमारी से ग्रस्त हो या अन्य ऐसी गंभीर बिमारी हो जिससे सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हो तो व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है या पत्नि की मर्जी हो तो भी दूसरा विवाह कर सकता है। पत्नि की मर्जी के विरूद्ध विवाह करने पर सामाजिक रूप से 2000 रू. अर्थदण्ड व सामाजिक भोज देना होता है।

4. **व्याविचार व प्रथागत कानून** :– समाज में यदि अवैध संबंध किसी महिला पुरूष का पाया जाता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। यदि दोनों अविवाहित है तो दोनों का विवाह करा दिया जाता है।

5. **विधवा विवाह व प्रथागत कानून** :– स्त्री के पति के मरजाने पर विधवा अन्य विधुर पुरूष से विवाह/चूड़ी पहनाकर घर चली जाती है। अविवाहित पुरूष यदि किसी विधवा से विवाह करता है तो उसे समाज को 1500 रू. दण्ड व समाज को भोज देना पड़ता है।

6. **अर्न्तजातिय विवाह व प्रथागत कानून** :– पहाड़ी कोरवा में अंर्तजातिय विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करती है। यदि पहाड़ी कोरवा जाति का लड़का अन्य समाज की लड़की से शादी कर लेता है तो समाज लड़की को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसके संतान को समाज स्वीकार कर लेती है व सामाजिक रूप से 2000रू. दण्ड व समाज को भोजन कराना पड़ता है। यदि कन्या अन्य समुदाय में विवाह करती है तो सामाजिक रूप से बहिस्कृत कर दिया जाता है।

7. **फूलपरी में प्रथागत कानून** :– समाज में जब किसी व्यक्ति के शरीर में घाव होकर कीड़ा लग जाता है तो उसे फूलपरी कहा जाता है। कीड़े लगने

पर यह कहा जाता है कि भगवान नाराज है जिससे उमके घाव नहीं भर रहे है और घाव में कीडे पड़ गये है तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता है।

पी.सी.लहरे

अनुसंधान सहायक
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय इकाई अम्बिकापुर–सरगुजा छ.ग.